सचिका संख्या-अ.पा.-22/2019...792.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:- 05/09/2023

विषय:- बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

प्रसंग:- भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक विवि.(डीईए निधि) सं० S3097/30.01.003/2023-24 दिनांक 30.08.2023 एवं वित्त विभाग का पत्रांक-5268 दिनांक 16.06.2015, शुद्धि पत्र ज्ञापांक-1152 दिनांक-22.11.2017 एवं पत्रांक-1144/वि० दिनांक 20.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पास पड़ी लावारिस (अदावाकृत) जमा राशियों की समस्या के समाधान के उद्देश्य से जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना की है । दस वर्ष से अधिक समय तक दावा न किए गए किसी भी जमा अथवा किसी भी राशि को बैंक द्वारा 10 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में जमा कर दिया जाता है ।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा इन अदावाकृत जमाओं पर अधिकारों की बहाली सुनिश्चित करने के लिए 12.05.2023 को 100 दिन, 100 भुगतान अभियान प्रारंभ किया गया है । 01 जून, 2023 को शुरू हुआ यह अभियान 08 सितम्बर, 2023 को समाप्त होने वाला है । अदावाकृत राज्य/ स्थानीय खातों में 12 प्रमुख बैंकों द्वारा कुल मिलाकर 47 खाते और राशि 32.71 करोड़ रूपए हैं ।

जिलों/विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभागों/प्रमंडलों/ जिलों के बैंक खातों में लम्बे समय से राज्य के समेकित निधि से राशि निकासी कर रखी गई है तथा अव्यवहृत है । यह वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेश एवं बिहार कोषागार सहिंता 2011 के नियम 34,176,177 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

LETTER 2019-490-

अतएव उपरोक्त के आलोक में बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत एवं अर्जित ब्याज की राशि जिसका व्यय-31.03.2024 तक संभावित नही है, को राज्य की समेकित निधि में वित्त विभाग के उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों में उल्लिखित मूलधन एवं ब्याज से संबंधित अलग-अलग उपशीर्ष में दिनांक-31.03.2024 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

<u>अनुलग्नकः- यथोक्त ।</u>

विश्वासभाजन,

5/9/2023

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव ।

LETTER 2019-469-

(487)

पत्रांक - को0प्र0/स्था0-03/2015 5265 /वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलायुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 16/6/15 /

विषयः— **बैंक खातों में संचित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय में कमी के रूप में कोषागार में जमा कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न कार्यालय प्रधानों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातों के विवरण से निम्नांकित तथ्य सामने आये हैं :—

(i) सभी बैंक खाते वित्त विभाग की सहमति के बिना खोले गये हैं जो बिहार कोषागार संहिता के नियम–34 का उल्लंघन है।

(ii) बैंक खातों में बड़ी राशि संचित की गयी है।

(iii) बैंक खाता में संचित राशियों पर ब्याज के रूप में बड़ी राशि अर्जित की गयी है।

(iv) कई कार्यालयों में गैर योजना मद से वेतन, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख रखाव, व्यवसायिक एवं विशेष सेवा मद आदि की राशि भी बैंक खातों में रखी गयी है जो घोर वित्तीय अनियमितता है।

(v) प्रायः सभी कार्यालयों में कई ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें बहुत पहले से राशि पड़ी हुई है और वर्तमान में उसका स्रोत अज्ञात है।

(vi) प्रायः सभी कार्यालयों में एक से लेकर 35 बैंक खाते रखे गये हैं।

(vii) जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में छात्रवृति की बड़ी राशि की निकासी कर बैंक खाते में रखी गयी है, आदि।

2. कोषागार से लोक धन की निकासी कर बैंक खाता में संचित करना बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–34, 176 एवं 177 के विरूद्ध है। इससे राज्य का नगद अवशेष घटता है तथा अग्रिम या सहायक अनुदान के रूप में निकासी की गयी

(486)

राशि का सामंजन भी लंबित रहता है। ए०सी०/डी०सी०/उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा कई बार स्पष्ट निदेश दिया गया है कि जो राशि व्यय होने वाली नहीं हो, उसे कोषागार में वापस जमा करा दिया जाय ताकि ए०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का सामंजन किया जा सके।

3. अतः बैंक खातों में संचित राशि की मात्रा एवं उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित निदेश निर्गत किये जाते हैं:-

(i) बैंक खातों में अर्जित ब्याज की राशि को सरकार के प्राप्ति शीर्ष (R0049048000016) में जमा किया जाय।

(ii) वैसी राशियाँ जो बैंकों में बहुत दिनों से पड़ी हुई है तथा उसका स्रोत ज्ञात नहीं है, को घटावें वापसियों (Deduct recoveries of unspect balance) के रूप में वापस कोषागार में जमा किया जाय।

(iii) गैर योजना/योजना मद में वेतन, आकस्मिक व्यय, मानदेय, यात्रा भत्ता आदि मद की राशि को घटावें वापसियाँ के रूप में जमा किया जाय।

(iv) वैसी योजना की राशि, जिसका लाभ पीछे की तिथि से नहीं दिया जा सकता है (उदाहरणस्वरूप, किसानों को दिया जाने वाला खाद सबसिडी, आँगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार कार्यक्रम, विद्यालयों में मिड डे मिल, मजदूरी की राशि आदि), क्योंकि इन योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि का उपबंध किया गया है, को अचूक रूप से घटावें वापसियाँ के रूप में कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(v) सभी बैंक खातों को बंद किया जाय। यदि किसी विशेष कारण से राशि की निकासी कर बैंक खाता में रखना अनिवार्य है तो युक्तियुक्त कारण के साथ प्रशासी विभाग के माध्यम वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया जाय। विचारोपरांत वित्त विभाग विशेष परिस्थिति में बैंक खाता खोलने की सहमति दे सकता है।

(vi) वापस की जाने वाली राशि का चेक/ड्राफ्ट कोषागार पदाधिकारी के नाम से निर्गत किया जायेगा। उसके साथ पूर्ण रूप से भरा गया चालान की तीन प्रति भी संलग्न की जायेगी। खाताधारी के द्वारा कोषागार पदाधिकारी को उस विपत्र कोड/बजट कोड की जानकारी अवश्य दी जायेगी, जिससे राशि की निकासी की गयी थी ताकि घटावें वापसियाँ का विपत्र कोड/बजट कोड निर्धारित किया जा सकें। कोषागार पदाधिकारी चालान पर दर्ज विपत्र कोड की जाँच कर लेंगे तथा उसे पारित करते हुए चेक/ड्राफ्ट के साथ बैंक में जमा करा देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चेक से राशि वापसी का ब्योरा एक पंजी में भी संधारित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में वित्त विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव।

हरित. 50

(485)

शुद्धि पत्र

ज्ञाप० सं०- अ०पा० 66/2011 1152 पटना दिनांक: 22.11.2017

वित्त विभागीय पत्रांक अ०पा० 66/2011-1144/वि० दिनांक 20.11.2017 द्वारा निर्गत पत्र विषय ***"बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में"*** संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित राजस्व व्यय शीर्ष (मुख्य शीर्ष 02 एवं 03 से प्रारंभ) के स्थान पर (मुख्य शीर्ष 2 एवं 3 से प्रारंभ) एवं पूंजीगत व्यय शीर्ष (मुख्य शीर्ष 04 एवं 05 से प्रारंभ) के स्थान पर (मुख्य शीर्ष 4 एवं 5 से प्रारंभ) पढ़ा जाए ।

शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी ।

22/11

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

पत्रांकः- अ०पा० 66/2011 1152/वि०, पटना, दिनांक 22.11.2017

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/11

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

पत्रांकः- अ०पा० 66/2011 1152/वि०, पटना, दिनांक 22.11.2017

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/11

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

पत्रांकः- अ०पा० 66/2011 1152/वि०, पटना, दिनांक 22.11.2017

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/11

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

5228 (484)

पत्र सं०-अ०पा० 66/2011..1144../वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 20/XI/17

विषयः बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

प्रसंगः मुख्य सचिव, बिहार का पत्र सं०-8978 दिनांक 17.11.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि जिलों/ विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभागों/ प्रमंडलों/जिलों के बैंक खातों में लंबे समय से राज्य के समेकित निधि से राशि निकासी कर रखी गयी है तथा अव्यवहृत है । यह वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेशें एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 34, 176, 177 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

2. प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्रांक 8978 दिनांक 17.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव के स्तर से विभागों/ प्रमंडलों/ जिलों को निम्नलिखित निदेश दिए गए हैं:-

"1) संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुए, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक ***31.03.2018*** *तक नही है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक* ***31.12.2017*** *तक जमा कराना सुनश्चित किया जाए ।*

2) बैंक खातों में संधारित छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन इत्यादि की राशि जिसका व्यय भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है, को दिनांक 15.12.2017 तक राज्य के समेकित निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ।

3) जिन बैंक खातों में संचित राशि का स्रोत ज्ञात नहीं है, तथा जिसके व्यय की संभावना नहीं है, को राज्य के समेकित निधि में जमा करने हेतु उचित शीर्ष का निर्धारण कर वित्त विभाग द्वारा अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है । ऐसी संपूर्ण राशि को 15.12.2017 तक राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।"

482 (483)

3. उपरोक्त निदेश के आलोक में निम्नांकित तीन स्थितियां परिलक्षित होगी :-

i) **बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, उस विभाग का नाम एवं शीर्ष ज्ञात है । ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षों की राशि अनुलग्नक '1'** में दिखलाए गए मद वार अंकित उपशीर्ष के अनुसार जमा होगी ।

ii) **बैंक खातों में संचित** राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, उस **विभाग का नाम** ज्ञात है, **किन्तु शीर्ष ज्ञात नहीं है** । ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षों की राशि **अनुलग्नक '2'** में दिखलाए गए विभाग वार अंकित उपशीर्ष के अनुसार जमा होगी ।

iii) बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, **उस विभाग का नाम एवं शीर्ष दोनों ज्ञात नहीं है**, तो ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षों की राशि **अनुलग्नक '3'** में अंकित उपशीर्ष में जमा होगी ।

4. उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित विधिनुसार बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि जिसका व्यय **31.03.2018** तक संभावित नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक **31.12.2017** तक ज़मा कराना सुनिश्चित किया जाए ।

5. **मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-8978 दिनांक 17.11.2017 में निदेशित है, कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपरोक्त निदेशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग/जिला द्वारा कोषागार से संचालित वित्तीय संव्यवहार दिनांक 31.12.2017 के उपरान्त बंद कर दिया जाएगा । अतः कृपया समय सीमा के अंतर्गत** अनुवर्ती कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

अनुलग्नकः यथोक्त ।

विश्वासभाजन

20.XI.17

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

पत्रांकः- अ०पा० 66/2011 1144/वि०, पटना, दिनांक 20.XI.17

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

20.XI.17

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

पत्रांकः- अ०पा० 66/2011 1144/वि०, पटना, दिनांक 20.XI.17

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

20.XI.17

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

(482) 586

अनुलग्नक-1

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग एवं शीर्ष की जानकारी ज्ञात है।

राजस्व व्यय शीर्ष (मुख्य शीर्ष 02 एवं 03 से प्रारंभ), उपमुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष के अन्तर्गत किसी उपशीर्ष से पूर्व वित्तीय वर्षों में आहरित राशि को उसी मुख्य एवं उपमुख्यशीर्ष के लघुशीर्ष ''911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ'' अन्तर्गत निम्नलिखित उपशीर्ष की विवरणी के अनुसार राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा किया जायेगा।

क्रम सं०	मदें	उप शीर्ष कोड	उपशीर्ष का विवरण
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना)	0001	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0002	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
2	राज्य स्कीम (राज्य योजना)	0101	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0102	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
3	राज्य स्कीम (केन्द्रांश)	0201	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0202	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
4	राज्य स्कीम (राज्यांश)	0301	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0302	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
5	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (केन्द्रीय योजनागत योजना)	0401	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0402	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	0601	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0602	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.11.17

585 (481)

अनुलग्नक-1

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग ए शीर्ष की जानकारी ज्ञात है।

पूंजीगत व्यय शीर्ष (मुख्य शीर्ष 04 एवं 05 से प्रारंभ) के अन्तर्गत किसी मुख्यशीर्ष, उपमुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष के अन्तर्गत किसी उपशीर्ष से पूर्व वित्तीय वर्षो में आहरित राशि को राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा करने हेतु उपशीर्ष की विवरणी

क्रम सं०	मदें	उप शीर्ष कोड	उपशीर्ष का विवरण
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना)	0099	घटाएं पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
2	राज्य स्कीम (राज्य योजना)	0199	घटाएं पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
3	राज्य स्कीम (केन्द्रांश)	0299	घटाएं पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
4	राज्य स्कीम (राज्यांश)	0399	घटाएं पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
5	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (केन्द्रीय योजनागत योज़ना)	0499	घटाएं पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0699	घटाएं पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ

20.XI.17

584 (480)

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

क्रम सं०	विभाग का नाम	मांग संख्या	घटाएं वापसियों के अन्तर्गत लेखा शीर्ष
1	कृषि विभाग	01	मुख्यशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	02	मुख्यशीर्ष 2403-पशु-पालन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
3	भवन निर्माण विभाग	03	मुख्यशीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	04	मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
5	निर्वाचन विभाग	06	मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.17

583
(579)

अनुलग्नक-2

बैक खातों में संचित राशि/अपशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

6	निगरानी विभाग	07	मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
7	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	08	मुख्यशीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
8	सहकारिता विभाग	09	मुख्यशीर्ष 2425-सहकारिता, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
9	ऊर्जा विभाग	10	मुख्यशीर्ष 2801-विद्युत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
10	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	11	मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0102-अधिक, अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
11	वित्त विभाग	12	मुख्यशीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.17

542
(478)

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

12	पंचायती राज विभाग	16	मुख्यशीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
13	वाणिज्यकर विभाग	17	मुख्यशीर्ष 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
14	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	18	मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्यशीर्ष-01-खाद्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0102-अधिक, अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
15	पर्यावरण एवं वन विभाग	19	मुख्यशीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्यशीर्ष-01-वानिकी, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
16	स्वास्थ्य विभाग	20	मुख्यशीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
17	शिक्षा विभाग	21	मुख्यशीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.[illegible]

(477) 58

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

18	गृह विभाग	22	मुख्यशीर्ष 2055-पुलिस, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
19	उद्योग विभाग	23	मुख्यशीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
20	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	24	मुख्यशीर्ष 2220-सूचना तथा प्रचार, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
21	सूचना प्रावैधिकी विभाग	25	मुख्यशीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-07-दूर-संचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
22	श्रम संसाधन विभाग	26	मुख्यशीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्यशीर्ष-01-श्रम, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
23	विधि विभाग	27	मुख्यशीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.17

1580 (476)

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

24	खान एवं भूतत्व विभाग	29	मुख्यशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-02-खानों का विनियमन तथा विकास, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
25	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	30	मुख्यशीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
26	संसदीय कार्य विभाग	31	मुख्यशीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
27	सामान्य प्रशासन विभाग	33	मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
28	योजना एवं विकास विभाग	35	मुख्यशीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उपमुख्यशीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
29	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	36	मुख्यशीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्यशीर्ष-01-जल पूर्ति, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.17

(475) ~~479~~

अनुलग्नक-2

बैक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

30	ग्रामीण कार्य विभाग	37	मुख्यशीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
31	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	38	मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प पंजीकरण, उपमुख्यशीर्ष-02-स्टाम्प न्यायकेत्तर, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
32	आपदा प्रबंधन विभाग	39	मुख्यशीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
33	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	40	मुख्यशीर्ष 2029-भू-राजस्व, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
34	पथ निर्माण विभाग	41	मुख्यशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष-337-सड़क निमार्ण कार्य, उपशीर्ष-0199-घटाएं पूंजीगत लेखों में प्राप्ति तथा वसूलियाँ
35	ग्रामीण विकास विभाग	42	मुख्यशीर्ष 2505-ग्राम रोजगार, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य कार्यक्रम, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0102-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.17

अनुलग्नक-2

578 (474)

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

36	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	43	मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
37	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	44	मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
38	गन्ना उद्योग विभाग	45	मुख्यशीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
39	पर्यटन विभाग	46	मुख्यशीर्ष 3452-पर्यटन, उपमुख्यशीर्ष-01-पर्यटक अवसंरचना, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी.
40	परिवहन विभाग	47	मुख्यशीर्ष 3055-सड़क परिवहन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
41	नगर विकास एवं आवास विभाग	48	मुख्यशीर्ष 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.11.17

5772 (573)

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

42	जल संसाधन विभाग	49	मुख्यशीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
43	लघु जल संसाधन विभाग	50	मुख्यशीर्ष 2702-लघु सिंचाई, उपमुख्यशीर्ष-02-भू-जल, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
44	समाज कल्याण विभाग	51	मुख्यशीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-02-समाज कल्याण, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.XI.17

अनुलग्नक-3

(472) 526

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग एवं शीर्ष दोनों की जानकारी ज्ञात नहीं है।

क्रम सं०	विभाग का नाम	मांग संख्या	घटाएं वापसियाँ के अन्तर्गत लेखा शीर्ष
1	सभी विभाग	सभी मांग	मुख्यशीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911 घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी को गयी राशि की वापसी

20.XI.17

e-2049335
04-09-23

E-Mail

(484)
(498)

ACS, Finance

मुख्य सचिव कोषांग, बिहार
31 AUG 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DoR. (DEA Fund) No.S3097 /30.01.005 / 2023-24 August 30, 2023

Chief Secretary
Government of Bihar
Main Secretariat
Patna-800015

मुख्य सचिव

Madam/Dear Sir

Unclaimed Balances in bank accounts of State Government /Agencies

04 SEP 2023

As you may be aware, the Reserve Bank of India (RBI) has instituted The Depositor Education and Awareness Fund (the Fund) with the objective of addressing the issue of unclaimed deposits lying with banks. Any deposit or any amount remaining unclaimed for more than ten years is credited by the bank to the Fund at the expiry of the said period of 10 years.

2. In this connection, the RBI has on May 12, 2023 launched the '100 Days 100 Pays' campaign to ensure the restitution of rights on these unclaimed deposits. The campaign, which began on June 01, 2023, is set to conclude on September 08, 2023.

3. During course of a review carried out by us, the banks have highlighted various challenges with regard to identification and settlement of Government/Agency Accounts. These challenges broadly arise from hesitancy on the part of respective government officials, who have been approached by banks to furnish the requisite KYC documents necessary for restoration / settlement of these deposits.

मुख्य सचिव कार्यालय
आवक सं० 4611
दिनांक 01.9.23

4. Given the deposits of State and Local Government accounts represent a significant portion of the total unclaimed deposits, their reactivation can contribute significantly and ensure the restitution of rights. As such these accounts once reactivated, can also aid the government for meaningful utilisation. We enclose herewith illustrative indicators regarding the major unclaimed State/Local Government accounts pertaining to your jurisdiction, as furnished by 12 major banks, aggregating to 47 accounts and amounting to ₹32.71 Crore.

5433/C.S.(Fin)/4
04/09/2023

(F)

(480)
(497)

5. We will appreciate, if you could collaborate with the banks and initiate appropriate measures to expedite the reactivation of such relevant State and Local Government accounts.

Yours faithfully

(Sunil T S Nair)
Chief General Manager

Encls: As above

(479)
(496)

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विवि. (डीईए निधि) सं. S3097/30.01.003 / 2023-24 30 अगस्त 2023

मुख्य सचिव
बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय
पटना-800015

महोदया/महोदय

राज्य सरकार/एजेंसियों के बैंक खातों में दावा न की गई (अदावाकृत) राशि का शेष

जैसाकि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों के पास पड़ी लावारिस (अदावाकृत) जमाराशियों की समस्या के समाधान के उद्देश्य से जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (फंड) की स्थापना की है। दस वर्ष से अधिक समय तक दावा न किए गए किसी भी जमा अथवा किसी भी राशि को बैंक द्वारा 10 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (फंड) में जमा कर दिया जाता है।

2. इस संबंध में, आरबीआई द्वारा इन अदावाकृत जमाओं पर अधिकारों की बहाली सुनिश्चित करने के लिए 12 मई 2023 को '100 दिन, 100 भुगतान' अभियान प्रारम्भ किया गया है। 01 जून 2023 को शुरू हुआ यह अभियान 08 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाला है।

3. हमारे द्वारा की गयी एक समीक्षा के दौरान, बैंकों द्वारा सरकारी/एजेंसी खातों की पहचान और निपटान के संबंध में विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। ये चुनौतियाँ मोटे तौर पर राशि से संबंधित उन सरकारी अधिकारियों की ओर से झिझक के कारण उत्पन्न होती हैं, जिनसे बैंकों द्वारा इन जमाओं की बहाली/निपटान के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए संपर्क किया गया है।

4. यह देखते हुए कि राज्य और स्थानीय सरकार के खातों की जमा राशि कुल दावा न की गई जमा राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनका पुनर्सक्रियन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और अधिकारों की बहाली सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे में ये खाते एक बार पुनः सक्रिय हो जाने पर, सार्थक उपयोग के लिए सरकार को सहायता भी दे सकते हैं। हम आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रमुख

(478)
(495)

अदावाकृत राज्य/स्थानीय सरकारी खातों के संबंध में उदाहरणात्मक संकेतक संलग्न कर रहे हैं, जैसा कि 12 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुल मिलाकर 47 खाते और राशि रु.32.71 करोड़. है।

5. यदि आप बैंकों के साथ सहयोग कर सकें और ऐसे प्रासंगिक राज्य एवं स्थानीय सरकार के खातों को पुनः सक्रिय करने में तेजी लाने के लिए उचित उपाय प्रारम्भ कर सकें तो उक्त प्रयास अत्यन्त सराहनीय होंगे।

भवदीय

सुनील नायर

(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

(477) (494)

State of Bihar - Top Accounts - State Government/Government (Others) of 12 major Banks				
Sr No.	**Bank Name**	**Name of the Depositor**	**Name of the Branch**	**District**
1	Axis Bank	DISTRICT MAGISTRATE WEST CHAMPARAN (WELFARE OFFICE)	Bettiah	PaschimiChamparan
2	Axis Bank	RAMJAIPAL COLLEGE,CHAPRA-WELFARE FUND	Chapra	Saran
3	Bank of India	DIST PROGRAMME OFFICER ACCOUNT & PLANNING	ARRAH	BHOJPUR
4	Bank of India	EXECUTIVE ENGR.SPECIAL DIV ARWAL MLA FUN	ARWAL	ARWAL
5	Bank of India	DRDA A/C MINOR INR.	BETTIAH	WEST CHAMPARAN
6	Bank of India	KARYAPALAK ABHIYANTA, G V PRAMANDAL ,JAM	JAMUI	JAMUI
7	Bank of India	EXECUTIVE ENGINEER,R. W.D,WD NIMCHAK-BATHANI,GAYA	ANUGRAH NARAYANPURI	GAYA
8	Bank of India	KARYAPALAK ABHIYANTA VAISHALI HAJIPUR MP	HAJIPUR	VAISHALI
9	Bank of India	ZILA KALYAN PADADHIKARY	AURANGABAD (BIHAR)	AURANGABAD
10	Bank of India	DISTRICT ENGINEER	CHAPRA	SARAN
11	Bank of India	B.D.O. TARDIH	RAJAKHARWAR	DARBHANGA

(479)/(493)

12	Bank of India	KARYAPALAK ABHIYANTA GRAMIN VIKASH	ARWAL	ARWAL
13	Bank of India	ZILA SAKSHARTA SAMITI PURNEA-2	PURNEA	PURNEA
14	Bank of India	DISTRICT ENGINEER SARAN [N.R.E.G.S.]	CHAPRA	SARAN
15	Bank of India	DISTRICT ENGINEER,SARAN	CHAPRA	SARAN
16	Bank of India	KARYAPALAK ABHIYANTA PATAPUR MLA	HAJIPUR	VAISHALI
17	Canara Bank	D M CUM CHAIRMAIN ZI	SASARAM	ROHTAS
18	Canara Bank	BIHAR STATE FOOD - C	DARBHANGA	DARBHANGA
19	Canara Bank	JILLA PADADHIKARI	BETTAIH	PASHCHIM CHAMPARAN
20	Canara Bank	DISTRIC EDUCATION OF	SITAMARHI	SITAMARHI
21	Canara Bank	BHAGALPUR ZILA SAKSH	BHAGALPUR	BHAGALPUR
22	Indian Bank	EXECUTIVE ENGINEER ,R.E.O-W.DIV.PATNA	PATNA PATLIPUTRA COLONY	PATNA
23	Indian Bank	DISTRICT EDUCATION OFFICER	CHAPRA	SARAN
24	Indian Bank	DIST.EDUCATION OFFICER ROHTAS SASARAM	SASARAM	ROHTAS
25	Indian Bank	P.U PENSION S.CR. A/C	PATNA UNIVERSITY	PATNA
26	Indian Bank	DIST GRAMIN VIKASH ABHIKARAN SAMASTIPUR	SINGHIA KHURD	SAMASTIPUR

(475) (492)

27	Indian Bank	DIRECTOR SECONDARY EDUCATION (	PATNA RAJENDRA NAGAR	PATNA
28	Indian Bank	BLOCK DEVELOPMEN T OFFICER GHOGHARDIH A	MANSAPUR	MADHUBANI
29	Indian Bank	B.D.O. CUM EXCUTIVE OFFICER PANCHAYAT SA	SASARAM	ROHTAS
30	Indian Overs eas Bank	BIHAR EDUCATION P	SHASTRI NAGAR (FORMERLY BELTRON BHAVAN	PATNA
31	Indian Overs eas Bank	BIHAR EDUCATION PROJ	PATNA	PATNA
32	Indian Overs eas Bank	DISTRICT SUP OF EDUCATION GAYA	GAYA	GAYA
33	SBI	RASHTRIYA SWASTH BIMA YOJNA	PATNA SECRETARIAT	PATNA
34	SBI	D D C CUM M D A/C (SGRY)	BANKA	BANKA
35	SBI	B P S M-INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMEN T	BAILEY ROAD	PATNA
36	SBI	BIHAR URBAN DEVELOPMEN T AGENCY	PATNA SECRETARIAT	PATNA
37	SBI	DEPUTY COMMISSIONE R COMMERCIAL .	SASARAM	ROHTAS
38	SBI	ZILA KARYAKRAMA ADHIKARI	GANDHI MAIDAN (GAYA)	GAYA
39	SBI	DISTRICR DISABLE REHABILITATI O .	KISHANGANJ	KISHANGANJ

(474) (491)

40	SBI	D S E SAMASTIPUR ,MIDDAY MEAL .	SAMASTIPUR	SAMASTIPUR
41	SBI	ROZGAR GUARANTTEE YOZANA	UJIARPUR	SAMASTIPUR
42	UCO Bank	PRAKHAND SHIKSHA PRASAR PADADH	TARAPUR	MUNGER
43	UCO Bank	REGISTRAR, MAGADH UNIVERSITY.	GAYA	GAYA
44	UCO Bank	PRAKHAND VIKASH PDADHIKARI	MUZAFFARABAZAR	BEGUSARAI
45	UCO Bank	B E E O SADAR	SAHARSA	SAHARSA
46	UCO Bank	RGRY - GRM PANCH BHAWANAIPU R	NARAYANPUR	BHAGALPUR
47	Union Bank of India	JILA SHIKSHA ADHISHAK	BORING ROAD PATNA	PATNA